छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 290/2009

1. श्री लेविन नाग, – अपीलार्थी
61/ए, ऊआबांधा सेक्टर,
भिलाई नगर, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, – प्रति अपीलार्थी
कार्यालय छ0ग0 स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय,
सेक्टर–8, भिलाई नगर, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 10 जून, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री लेवीन नाग द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 22.08.2008 को जन सूचना अधिकारी, कार्यालय छ0ग0 स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, उसके बाद स्पष्ट कारण बताते हुए दिनांक 01.10.2008 को अतिरिक्त आवेदन दिया, उक्त आवेदनों पर भ्रामक, अस्पष्ट एवं अपूर्ण जानकारी मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 19.01.2009 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उसके बाद भी पूर्ण जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 10.02.2009 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में जन सूचना अधिकारी द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसमें बिन्दुवार पूरी स्थिति स्पष्ट की गई है। मौखिक सुनवाई के समय अपीलार्थी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उन्हें अन्य सभी जानकारियॉ प्राप्त हो चुकी है, जिससे वे संतुष्ट है, किन्तु उन्हें केवल उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्रदान नहीं की गई है और उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में पं0 रविशंकर विश्वविद्यालय और स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय एक–दूसरे पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं तथा दोनों की अपने यहॉ उत्तर पुस्तिकायें उपलब्ध नहीं होना बता रहे हैं, जो जानकारी भ्रामक एवं अस्पष्ट प्रतीत होती है। अतः इस प्रकरण में यह निर्देश दिये जाते हैं कि जन सूचना अधिकारी, छ0ग0 स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई तथा जन सूचना अधिकारी पं0 रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर दोनों ही अपने यहॉ अपीलार्थी द्वारा चाही गई उत्तर पुस्तिकाओं को पुनः ढूंढ़वायें और यदि उपलब्ध हो जाती है तो, जहॉ भी अपीलार्थी हो वहॉ अपीलार्थी को सूचना देकर 15 दिवस में उसका निःशुल्क अवलोकन करा दिया जावे, यदि उपलब्ध नहीं होती है तो उन्हें इन दोनों विश्वविद्यालय में से किसी के द्वारा विनष्ट किया गया है तो विनष्ट का प्रमाण सहित स्पष्ट उत्तर अपीलार्थी को दिया जावे और यदि उपलब्ध नहीं होती है तो फिर इसके संबंध में आवक–जावक पंजी से प्रभार हस्तांतरण रिकार्ड से यह जानकारी स्पष्ट की जावे कि उत्तर पुस्तिकायें पं0 रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा कब छ0ग0 स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई को भेजी गई थी और उसका दस्तावेजी प्रमाण की प्रति भी अपीलार्थी को दी जावे और यदि उत्तर पुस्तिका गुमा दी गई है तो उसके संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी जावे।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

साथ ही प्रकरण में अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत छ0ग0 स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई की ओर से राशि 200/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com